

मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का आधार नम्बर	
आवेदक/परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या	4622585757



I	1. प्रार्थी का नाम	कैलाशी देवी शर्मा	<input checked="" type="checkbox"/> किसी भी एक या उससे संबंधित दर्जे	
	2. पिता/पति का नाम	विष्णु कुमार		
	3. वर्तमान स्थायी पता	श्री.पं. कटारों का बस A श्री.पं. ला-4/5/1021	1. राजस्थान में पैदा हुए हो और उससे माता-पिता इस राज्य के मूल निवासी हो	
	4. पिता/पति का मूल स्थान	कटारों का बस A	<input type="checkbox"/> माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र 3 मुद्रांक प्रमाण पत्र / पारदर्शिता/अन्य कोई प्रमाण पत्र या	
	5. पिता/पति का व्यवसाय	डॉक्टर	<input type="checkbox"/> लगातार 10 वर्षों के विजली/पानी/परीक्षण के विस्तृत/अन्य कोई प्रमाण पत्र 3 मुद्रांक प्रमाण पत्र / पारदर्शिता/अन्य कोई प्रमाण पत्र या	
	6. पिता/पति के व्यवसाय का पता	कटारों का बस A	<input type="checkbox"/> 10 वर्षों के लगातार विमान प्रमाण पत्र 3 मुद्रांक प्रमाण पत्र / पारदर्शिता/अन्य कोई प्रमाण पत्र	
	7. जन्म स्थान	प्रा.म.		
	8. जन्म दिनांक	12/05/1989		
	9. आपने किस कक्षा तक और कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की :-	शिक्षण संस्थान का नाम	स्थान	2. उसका या उसके माता-पिता का राजस्थान में 10 वर्षों या अधिक वर्षों से मकान हो और यदि उसका मकान कहीं अन्यत्र हो तो वे राजस्थान ही यह राज्य को रूप में अंगीकृत करते हैं।
		कक्षा 1 से 9		<input type="checkbox"/> माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र 3 मुद्रांक प्रमाण पत्र / पारदर्शिता/अन्य कोई प्रमाण पत्र या
		10 वीं		<input type="checkbox"/> लगातार 10 वर्षों के विजली/पानी/परीक्षण के विस्तृत/अन्य कोई प्रमाण पत्र 3 मुद्रांक प्रमाण पत्र / पारदर्शिता/अन्य कोई प्रमाण पत्र या
	12 वीं		<input type="checkbox"/> 10 वर्षों के लगातार विमान प्रमाण पत्र 3 मुद्रांक प्रमाण पत्र / पारदर्शिता/अन्य कोई प्रमाण पत्र	
	स्नातक			
	स्नातकोत्तर			
	अन्य			
10. स्वयं/पिता की अचल सम्पत्ति का विवरण मय स्थान	कटारों का बस A		3. यह या उसके माता-पिता 10 वर्षों या अधिक से किराये के मकान में रह रहा हो/रहे हो और उसे सिद्ध करने हेतु किरायेनामा प्रस्तुत किया जा सकेगा।	
11. क्या मतदाता सूची में स्वयं का/पिता/पति का नाम है ?	हाँ/नहीं		<input type="checkbox"/> माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र 3 मुद्रांक प्रमाण पत्र / पारदर्शिता/अन्य कोई प्रमाण पत्र या	
12. आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है ?	अज्ञात		<input type="checkbox"/> लगातार 10 वर्षों के विस्तृत/अन्य कोई प्रमाण पत्र 3 मुद्रांक प्रमाण पत्र / पारदर्शिता/अन्य कोई प्रमाण पत्र या	
13. मोबाइल नंबर (स्वयं का या अन्य का जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबंधित सूचना चाहता है)	9983620013		<input type="checkbox"/> 10 वर्षों के लगातार विमान प्रमाण पत्र 3 मुद्रांक प्रमाण पत्र / पारदर्शिता/अन्य कोई प्रमाण पत्र	
II महिला के लिए :-				
1.	क्या आप विवाहित हैं ?	हाँ	4. उन महिलाओं की रक्षा में जो राजस्थान की मूल निवासी नहीं हैं और ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती हैं जो राजस्थान का मूल निवासी हैं और जो अपने पति के साथ राजस्थान में रहती हैं। सामान्यतया राजस्थान का मूल निवासी मान ली जायेगी चाहे उसके राजस्थान में अपने 10 वर्षों के निवासी भी शर्त पूरी न की हो।	
2.	आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ ?	विष्णु कुमार		
3.	क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी हैं ?	हाँ	5. राज्य सरकार या राजस्थान सरकार के राजकीय रुपकम में तीन वर्षों से स्वयं या उसके माता-पिता कार्यरत हो। (उक्त साक्ष्य अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र (TSP)के लिए लागू नहीं होगा।)	
4.	आप अपने पति के साथ कब से एवं किस स्थान पर रह रही हैं ?	विष्णु कुमार 2008	<input type="checkbox"/> पिता/पति के राजस्थान उपकरण में 10 वर्ष पारदर्शिता/अन्य कोई प्रमाण पत्र 3 मुद्रांक प्रमाण पत्र / पारदर्शिता/अन्य कोई प्रमाण पत्र	

मैं तसदीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। (मुझे इस तथ्य की पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य उचित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्धदण्ड से दण्डनीय है।)


दिनांक : 02/07/2024
स्थान : कटारों का बस A

कैलाशी
प्रार्थी के हस्ताक्षर

प्रहोपजी,
विशेषतः धीरजी

~~विशेषतः~~ स. केलारी अतिथि
सम्बन्ध देखने के अनुसार
आगे के लेखन का मूल्य
निर्धारित है।

अतः पिछले लेखन से
पूरा है।


पटवारी 25/8/24

पटवार मण्डल छरी
राजस्थान प्रशासन (राज.)

उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा सत्यापन

(1) मैं जीवरत्न पुत्र/पुत्री/पत्नी इरज निवासी पता 20/1510/2
 राजकीय सेवा पत्रावधि पद पुस्तक पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि
 प्रार्थी/प्रार्थीया श्री/श्रीमती कुलश्री देवी पुत्र/पुत्री पत्नी विष्णु कुमार शर्मा
 निवासी पता 20/1510/2 को मली भाति जानता हूँ यह 2008 वर्षों से उक्त निवास जिला,
प्रतापगढ़ राजस्थान में निवास कर रहा/रही है।

दिनांक

(हस्ताक्षर प्राप्त करने वाले व्यक्ति)

(2) मैं बालाराम शर्मा पुत्र/पुत्री/पत्नी वाग्दाम शर्मा निवासी पता 20/1510/2
 राजकीय सेवा शिक्षा पद डी० पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि
 प्रार्थी/प्रार्थीया श्री/श्रीमती कुलश्री देवी पुत्र/पुत्री पत्नी विष्णु कुमार शर्मा
 निवासी पता 20/1510/2 को मली भाति जानता हूँ यह 10 वर्षों से उक्त निवास जिला,
प्रतापगढ़ राजस्थान में निवास कर रहे/रही है।

दिनांक

(हस्ताक्षर प्राप्त करने वाले व्यक्ति)

नोट :- आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज भी संलग्न करें :-

1. आवेदक के दो नवीनतम फोटो जिसमें से एक फोटो आवेदन पत्र पर चिपकाए (स्टेपल नहीं करें) किया प्रस्ताव फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
2. संबंधित शपथ-पत्र (शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्धदण्ड से दण्डनीय है।)
3. साक्ष्य के अनुसार जो साक्ष्य लागू हो उससे संबंधित दस्तावेज।
4. उत्तरदायी व्यक्ति (संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम सदस्य, अराजपत्रित कर्मचारी, बीट प्रगारी (पुलिस) का प्रमाण पत्र जिस उसकी मोहर या राजकीय सेवा का पहचान पत्र।

कार्यालय उपयोग के लिए

आवेदन जांचकर्ता की रिपोर्ट :-

1. प्रार्थी द्वारा भरा गया विवरण I (महिलाओं के लिए I & II) सही एवं पूर्ण है। हां/नहीं
 2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्नक पूर्ण एवं सही है। हां/नहीं
- यदि नहीं तो विशेष विवरण

प्रस्तुत शपथ पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी को मूल निवास दिया जाना उचित है/आवेदन पत्र अपूर्ण होने के कारण खारिज किया जाता है।

आवेदन पत्र पर आपत्तियाँ

हस्ताक्षर लिपिक

मूल निवास जारी करने हेतु आदेश

1. प्रस्तुत शपथ-पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर मूल निवास जारी करने के आदेश दिये जाते हैं।
2. आवेदन पत्र हस्ताक्षर अपूर्ण होने के कारण/अन्य कारण
 खारिज किया जाता है।

हस्ताक्षर अधिकारी

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही हैं ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांक

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

शपथ पत्र

(नाबालिग होने की दशा में)

मैं, पुत्र/पुत्री श्री निवासी

राजस्थान का हूँ व सशपथ बयान करता/करती हूँ कि :-

- 1- यह है कि मैं का मूल निवासी हूँ।
- 2- यह है कि मेरा/मेरी पुत्र/पुत्री है, जो नाबालिग है इस कारण से यह शपथ पत्र में अपनी और से पेश कर रहा हूँ जिसकी आयु करीबन वर्ष है।
- 3- यह है कि मेरे उक्त पुत्र/पुत्री का जन्म में ही हुआ है।
- 4- यह है कि मेरा पुत्र/पुत्री की शिक्षा का अध्ययन भी कर रहा है।
- 5- यह है कि मैंने उपरोक्त का मूल निवास प्रमाण-पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनावाया है।
- 6- यह है कि मेरे को अपने पुत्र/पुत्री का मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही हैं ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांक

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

शपथ पत्र

(विवाहित महिलाओं के लिए)

मैं, लेखाश्री देवीमान पत्नी श्री प्रिण्डु कुमारी निवासी

अयोज का केन्द्र राजस्थान की हूँ व सशपथ बयान करती हूँ कि :-

01. यह कि मैं विवाह पश्चात उपरोक्त पते पर निवास करती हूँ।
02. यह है कि मेरे पति श्री प्रिण्डु कुमारी राजस्थान के मूल निवासी हैं।
03. यह है कि मैंने अभी अपना मूल निवास प्रमाण-पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनावाया है।
04. यह है कि मैं यह सशपथ पत्र अपना मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ।

दिनांक

कुमारी
हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही हैं ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांक

कुमारी
हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता